न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

दिनांक :–27.4.2022

क्रमांक /रीडर/ 2022/227

मुकदमा नंबर 345/2021

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. अणदाराम पुत्र मोटाराम जाति कलबी चौधरी 2. कोजी बेवा मोटाराम जाति कलबी चौधरी निवासी बुडीवाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)		1. मोडाराम पुत्र गोकलाराम जाति कलबी चौधरी 2. रामदयाल [illegible]राम 3. जमनादेवी [illegible]राम 4. तुलसा [illegible] 5. गणपतराम पुत्र सवाराम 6. तुलसीदेवी जोजे गणपतराम 7. पूनमाराम पुत्र हरीराम 8. बाबूलाल पुत्र जगनाराम 9. [illegible]राम पुत्र जगनाराम 10. [illegible] पुत्र जगनाराम समी जातियान कलबी चौधरी निवासी बुडीवाडा 11. राजस्थान सरकार (भूमिधारक जरिये तहसीलदार) पचपदरा

आदेश दिनांक :– 22.04.2022

उपर्युक्त, प्रकरणमौजा बुडिवाडा पटवारी क्षेत्र [illegible] भू–निरीक्षक जसोल तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 886/242 रकबा 27–12 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खडी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने से बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनॉक 07.09.1992 के मद्वेनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी की जावें कमीश्नर शुल्क रूपर्य 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं,जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

दिनांक :– 27/4/22

क्रमांक /रीडर/ 2022/227-A

1. तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे,साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें

उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:20:46 IST
Reason: SelfAttested